

जनपद वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु जनउपयोगी विभागीय योजनाओं का वितरण।

- 1 योजना का नाम – – दशमोत्तर शुल्क प्रतिपूर्ति
- 2 सम्बन्धित विभाग का नाम – पिछडा वर्ग कल्याण विभाग
- 3 कार्यालयाध्यक्ष का पदनाम – जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी
- 4 कार्यालय का पता – – भूतल, नजदीक पंजाब नेशनल बैंक विकास भवन
- 5 कार्यालय का दूरभाष – 0131 2620058
- 6 योजना के आरम्भ होने की तिथि –
- 7 योजना की समाप्ति की तिथि –
- 8 योजना का प्रकार – केन्द्रीय/राज्य/जिला/अन्य – राज्य सरकार
- 9 योजना का संक्षिप्त विवरण – इस योजनान्तर्गत कक्षा 10 से ऊपर के उन छात्र/छात्राओं को शुल्क प्रतिपूर्ति प्रदान की जायेगी जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय रू0 200000/– से अधिक न हो।
- 10 योजना के लिये निर्धारित अर्हता – उक्त योजनान्तर्गत निर्धारित आर्हता निम्नवत है।
 1. छात्र/छात्रा के अभिभावकों की वार्षिक आय 200000/– से अधिक न हो
 2. मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र एवं बैंक पास बुक की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न की गयी हो।
- 11 योजना किस वर्ग विशेष के लिये है – पिछडी जाति के छात्र/छात्राओं हेतु
- 12 योजना का आवेदन करने की प्रक्रिया – उक्त योजनान्तर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया ऑनलाईन संचालित है।
- 13 आवेदन पत्र/फार्म प्राप्त करने का स्थान – आवेदन पत्र ऑनलाईन भरा जायेगा।
- 14 आवेदन पत्र/फार्म का शुल्क – निःशुल्क
- 15 आवेदन पत्र/फार्म के साथ लगने वाले आवश्यक संलग्नको का विवरण – मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं आय प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न की गयी हो।
- 16 यदि आवेदन ऑनलाईन है तो वेबसाईट का एड्रेस – www.scholarship.up.nic.in
- 17 योजना के सम्बन्ध में दूरभाष पर जानकारी देने वाले कार्यालय के सम्पर्क सूत्र का पदनाम—मोबाईल नम्बर सहित –
 1. जिला विद्यालय निरीक्षक मौ0
 2. जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी मौ0
- 18 योजना के सम्बन्ध में जानकारी/शिकायत करने – दूरभाष नं0 0131 2620058

के सम्बन्ध में विभाग का दूरभाष/टोल फ्री नम्बर ई-मेल/ dbcwomuzaffarnagar@gmail.com

19 विभाग की वेबसाईट का एड्रेस

ह0
(कार्यालयाध्यक्ष का नाम)

(नोट – एक योजना के लिये एक पेज का उपयोग करे। समस्त 19 बिन्दुओं की सूचना देना अनिवार्य है।
तथा इसकी **dopdfsw** से **pdf file** बनाकर सीडी में जमा करायें।)